राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4602/2024

देवेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : खुर्शीद अहमद खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : आराधना स्वामी, अति. स्थाई राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर ब्लॉक उच्चैन, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय, मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, किशनगंज जिला बारां में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.07.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का वर्ष 2022–2023 की रिक्ति के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाकर वैकल्पिक कार्यव्यवस्थार्थ (अस्थाई रूप से) पदविरूद्ध मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, उच्चैन, भरतपुर में पदस्थापित किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, उच्चैन, भरतपुर के यहां उपस्थिति दी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 30.04.2026 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 14 माह का समय ही शेष है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण 410 कि.मी. दूर न्याय के सिद्धान्त की नीति के अनुसार किसी भी कार्मिक के सेवानिवृत्ति 02 वर्ष का समय शेष हो, स्थानान्तरण नहीं किया

जाना चाहिए। अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधि–विरूद्ध है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 15.01.2023 से स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–4), एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 21641/2024 दुर्गेश सिंह चारण बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 (अनुलग्नक–6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी के समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान वैकल्पिक कार्यव्यवस्थार्थ अस्थाई रूप से मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद के विरूद्ध ब्लॉक उच्चैन, जिला भरतपुर में पदस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.12.2024 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति होने पर अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, किशनगंज जिला बारां के रिक्त पद पर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार पदस्थापन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।
5. उपर्युक्त विवेचन के आधार अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भडारी)
सदस्य(न्यायिक)